न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 64 / 2020

प्रविष्टि दिनांक 29–10–2020

प्रभू पुत्र रामपाल मीना निवासी ग्राम बाखरगंज (पायगा) तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 18–9–2020 प्रकरण सं0 42 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 20–1–2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 18–9–2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम भाखरगंज तह0 उनियारा पर उड़द की फसल काश्त कर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, पेलन्टी कायम करने व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया है कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के वितरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया ओर न ही वास्तविक मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार उनियरा को [illegible] निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावजूद कि उक्त भूमि पर [illegible] का कब्जा है अथवा नही, कब्जा साबित होने के उपरान्त ही [illegible]। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि [illegible] समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाई गई योग्य अधीन[illegible]पूर्व में बेदखली बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:01:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

दसतावेज या निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाया गया। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट दुर्भावना पूर्वके पेश की है। पटवारी हल्का ने ऐसी कोई रिपोर्ट किसी स्वतंत्र गवाह के सामने तैयार नहीं की है। नायब तहसीलदार सोप ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम भाखरगंज पर अतिक्रमण कर उड़द ओर चरी की फसल काश्त की है। अपीलान्ट द्वारा इससे पूर्व भी अतिक्रमण कर फसल काश्त की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 2230/20 दिनांक 11–3–2020 से बेदखल किया गया था जो पत्रावली में उपलब्ध पूर्व दस्तावेजों से साबित है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने की आदी है, ओर विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम भाखरगंज पर उड़द व चरी फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 9–12–2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेंने विविादित भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 0.87 है0,वाके ग्राम भाखरगंज पर से अपना अतिक्रमण भौतिक रूप से हटा लिया है। में भविष्य में उक्त भूमि अथवा अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करूँगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 18–9–2020 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:01:00 IST
Reason: SelfAttested